NITIN SIR CLASSES

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

दैनिक समाचार विश्लेषण

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Monday, 13 Oct, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 **Syllabus : GS 2 : I.R.**	पाकिस्तान से बातचीत के लिए तैयार, लेकिन विकल्प भी मौजूद: मुत्ताकी
Page 02 **Syllabus : GS 1 : History / Prelims**	प्रारंभिक निष्कर्ष तमिलनाडु में नए उत्खनन स्थल पर लौह युग की उत्पत्ति की ओर इशारा करते हैं।
Page 04 **Syllabus : GS 2 : I.R. / Prelims**	भारत ने गाजा शिखर सम्मेलन के लिए मंत्री को मिस्र भेजा
Page 09 **Syllabus : GS 2 : Indian Polity / Prelims**	वैश्विक दरवाजे, मापे गए कदम
Page 09 **Syllabus : GS 2 : Social Justice / Prelims**	क्या नकद हस्तांतरण से महिलाओं की एजेंसी का निर्माण होता है?
Page 08 : Editorial Analysis **Syllabus : GS 3 : Environment**	ग्रेट निकोबार प्रकृति के कानूनी अधिकारों के मुद्दे को पुनर्जीवित करता है

NITIN SIR CLASSES

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

दैनिक समाचार विश्लेषण

Page 01 : GS 2 : I.R. / Prelims

डूरंड रेखा पर सीमा पर बढ़ती झड़पों के बीच, तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ बातचीत और कूटनीति के लिए खुला है, लेकिन अगर शांतिपूर्ण प्रयास विफल हो जाते हैं तो उसके पास "अन्य साधन" हैं। उनकी यह टिप्पणी काबुल में पाकिस्तान के हवाई हमलों और जवाबी अफगान सैन्य अभियानों के बाद आई है, जिससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध और तनावपूर्ण हो गए हैं।

Open to Pak. talks, but have options: Muttaqi

Taliban say Pakistan harbouring IS fighters from West Asia and must look into its 'internal failures'

Pakistan has been claiming that the TTP is using Afghan support and territory to launch attacks

Minister says women journalists were left out of Friday's press conference due to 'technical error'

Kallol Bhattacherjee
NEW DELHI

Afghanistan is open to dialogue and diplomacy for a peaceful resolution of its conflict with Pakistan, but if the efforts do not succeed, it has "other means", said the acting Foreign Minister of the Taliban administration, Amir Khan Muttaqi, on Sunday in response to the border clashes between the two countries.

"There are some special groups in Pakistan that are trying to disturb our relations. After they initiated hostile activities last week, we responded to defend our territory, and after that, our friends Saudi Arabia and Qatar intervened. Our doors are open for dialogue, but if Pakistan does not take this opportunity, then we have other means," he said.

Mr. Muttaqi was holding a second press conference in the Embassy of Afghanistan here after facing a backlash for not including women media professionals in his Friday interaction with the media. He said the previous interaction was organised at "short notice, and the exclusion of women journalists happened from a "technical error".

Talking tough: Taliban Foreign Minister Amir Khan Muttaqi, left, addressing a press conference in New Delhi on Sunday. PTI

Retaliatory strikes

Pakistan carried out airstrikes against targets in Kabul on Thursday, and in response, the Afghan Defence Forces conducted operations across the Durand Line in which 58 Pakistani soldiers were killed, said Zabiullah Mujahid, spokesperson of the Taliban administration.

Mr. Mujahid accused Pakistan of sheltering IS fighters from multiple countries in West Asia, and said Pakistan-based IS elements were behind the attacks in Russia and Iran.

Following heavy clashes on Sunday, Pakistan has captured 19 Afghan border posts, and the border crossings between the two countries have been shut temporarily in view of the prevailing tension.

Pakistan had claimed that Thursday's air strikes in Kabul eliminated the leader of the Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), Mufti Noor Wali Mehsood, a claim that was denied by sources in the TTP.

Pakistan has been claiming that TTP is drawing support from the Afghan Taliban administration and is using Afghan territory to launch attacks against it. Responding to the accusations, Mr. Muttaqi said the real problem is Pakistan's inability to maintain law and order along the Durand Line and the forced expulsion of the Afghan refugees from Pakistan.

"There are no terror groups inside Afghanistan. We have removed them all over the last four years. Pakistan, which carried out attacks deep inside Afghanistan, is unable to stop attacks that are taking place deep inside its own territory. They should look into their internal failures," said Mr. Muttaqi, urging Pakistan to control the law and order situation along the Durand Line.

"We have established our control inside Afghanistan after four decades of war. Why is Pakistan unable to establish control on its own territories?" asked Mr. Muttaqi who addressed the press conference with a large flag of the Taliban-run Islamic Emirate of Afghanistan (IEA) and expressed "regret" for many of the deaths that took place during the war in Afghanistan.

Condition of women

Faced with multiple questions on the condition of women in Taliban-ruled Afghanistan, Mr. Muttaqi said, "Afghanistan has Islamic rule. In Islam, everyone's rights are protected, be it men or women. Everyone has rights. There is no restriction on anyone."

He said Afghanistan has 10 million students attending schools and other educational institutes, of which 2.8 million are women and girls, adding, "There are limitations in specific parts, and that does not mean that we oppose education. We have not declared it to be 'haram'".

Continuing his remarks on the women in Afghanistan, Mr. Muttaqi said the "Taliban's first priority was to bring an end to the war. "We have adopted such policies that will slowly bring change so that no conflict arises in the future. We have to carry everyone along with us and make policies accordingly," said Mr. Muttaqi in his first extensive remarks about the harsh anti-women policies that the Taliban has adopted since returning to power in August 2021.

He is expected to hold a meeting in FICCI on Monday where Afghan-Indian trade interests will be in focus.

मुख्य बिंदु

1. सीमा संघर्ष और प्रतिशोध

- पाकिस्तान ने काबुल के अंदर कथित टीटीपी (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) के ठिकानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए।
- अफगान रक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, कथित तौर पर डूरंड रेखा के पार 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए।
- भारी झड़पों के कारण पाकिस्तान ने 19 अफगान सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया और सभी क्रॉसिंग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया।

दैनिक समाचार विश्लेषण

2. तालिबान अधिकारियों के बयान

- आमिर खान मुत्ताकी ने पाकिस्तान पर पश्चिम एशिया से आईएस (इस्लामिक स्टेट) के लड़ाकों को पनाह देने का आरोप लगाया और दावा किया कि पाकिस्तान को अपनी 'आंतरिक विफलताओं' पर ध्यान देना चाहिए।
- तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया कि रूस और ईरान में हाल के हमलों के पीछे पाकिस्तान में आईएस के तत्व हैं।
- मुत्ताकी ने अफगानिस्तान में 'आतंकवादी समूहों' की मौजूदगी से इनकार करते हुए कहा कि पिछले चार साल में उन्हें मार गिराया गया है।

3. महिला पत्रकार और लिंग नीतियां

- मुत्ताकी ने स्पष्ट किया कि पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को बाहर रखा जाना एक "तकनीकी त्रुटि" के कारण था।
- महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर उन्होंने कहा:

  उन्होंने कहा, 'इस्लाम में हर किसी के अधिकारों की रक्षा की जाती है. विशिष्ट भागों में सीमाएं हैं, लेकिन शिक्षा हराम नहीं है।

- दावा किया गया है कि वर्तमान में 2.8 मिलियन महिलाएं और लड़कियां अफगान संस्थानों में पढ़ रही हैं।

4. राजनयिक आउटरीच

- मुत्ताकी ने सऊदी अरब और कतर द्वारा मध्यस्थता के प्रयासों की सराहना की।
- वह अफगान-भारत व्यापार सहयोग को मजबूत करने के लिए फिक्की, नई दिल्ली में व्यापार प्रतिनिधियों से मिलने का कार्यक्रम है।

स्थैतिक और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
डूरंड रेखा (1893 समझौता)	अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बार-बार होने वाले सीमा विवादों की जड़।
टीटीपी (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान)	प्रमुख गैर-राज्यीय अभिनेता पर सीमा पार हमलों के लिए अफगान धरती का उपयोग करने का आरोप।
अफगानिस्तान का इस्लामी अमीरात (2021)	अमेरिका की वापसी के बाद वास्तव में तालिबान प्रशासन।
भारत-अफगानिस्तान संबंध	तालिबान शासन को मान्यता नहीं मिलने के बावजूद भारत मानवीय और व्यापारिक जुड़ाव जारी रखे हुए है।
इस्लामिक स्टेट-खुरासान प्रांत (आईएस-केपी)	अफगानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्र में मौजूद अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी समूह।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

1. नाजुक अफगानिस्तान-पाकिस्तान संबंध

- 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से तनाव गहरे अविश्वास को दर्शाता है।
- टीटीपी के अफगान आश्रय पर पाकिस्तान का दावा तालिबान के पाकिस्तानी आईएस की उपस्थिति के आरोपों के विपरीत है।
- दक्षिण एशिया में आतंकी नेटवर्क और छद्म प्रतिस्पर्धा में बदलाव का संकेत देता है।

2. क्षेत्रीय सुरक्षा निहितार्थ

- तनाव पहले से ही अस्थिर अफगान-पाक सीमा क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है।
- सीपीईसी विस्तार और कासा-1000 ऊर्जा गलियारे जैसी क्षेत्रीय पहलों में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- पड़ोसी देशों में शरणार्थियों के आने और आतंक फैलने का खतरा बढ़ा।

3. भारत का राजनयिक स्थान

- तालिबान द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नई दिल्ली को चुनना भारत की नए सिरे से भागीदारी को रेखांकित करता है।
- भारत अफगानिस्तान में रणनीतिक उपस्थिति बनाए रखने के लिए व्यापार और मानवीय कूटनीति का लाभ उठा सकता है।

4. मानवाधिकार और लैंगिक चिंताएँ

- महिलाओं के अधिकारों पर तालिबान के बयान जमीनी प्रतिबंधों के विरोधाभासी बने हुए हैं।
- यह मुद्दा शासन की वैश्विक मान्यता और वैधता को चुनौती देना जारी रखता है।

रणनीतिक निहितार्थ

- **पाकिस्तान के लिए:** काबुल के साथ बिगड़ते संबंध उसकी पश्चिमी सीमा सुरक्षा और आंतरिक आतंकवाद विरोधी रणनीति को जटिल बनाते हैं।
- **अफगानिस्तान के लिए:** राजनयिक अलगाव का सामना करते हुए, काबुल संप्रभुता का दावा करना चाहता है और राष्ट्रीय वैधता को प्रोजेक्ट करना चाहता है।
- **भारत के लिए:** क्षेत्रीय स्थिरता के लिए द्विपक्षीय और एससीओ जैसे बहुपक्षीय प्लेटफार्मों के माध्यम से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है।
- **वैश्विक समुदाय के लिए: नए** सिरे से झड़पें दक्षिण एशिया में अमेरिका की वापसी के बाद सुरक्षा संरचना की नाजुकता को उजागर करती हैं।

आगे की चुनौतियाँ

- डी-एस्केलेशन सुनिश्चित करना और डूरंड लाइन के साथ चौतरफा संघर्ष से बचना।
- टीटीपी और आईएस के खतरों से निपटने के लिए काबुल और इस्लामाबाद के बीच विश्वास तंत्र का निर्माण।
- व्यावहारिक राजनयिक जुड़ाव के साथ मानवाधिकारों की चिंताओं को संतुलित करना।
- शरणार्थी स्थिति का प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्रों में कट्टरपंथ को रोकना।

निष्कर्ष:

अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा टकराव 2021 के बाद की क्षेत्रीय व्यवस्था में आतंकवादी नेटवर्क, क्षेत्रीय विवादों और राजनीतिक वैधता के जटिल अंतर्संबंध को रेखांकित करता है । जबकि वार्ता के लिए तालिबान की पहुंच कूटनीति के लिए तत्परता का संकेत देती है, "अन्य

साधनों" की चेतावनी लगातार अस्थिरता को दर्शाती है। भारत और व्यापक क्षेत्र के लिए, अफगानिस्तान में स्थिरता एक शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक हिंद-प्रशांत और मध्य एशियाई सुरक्षा ढांचे के केंद्र में बनी हुई है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है।
2. अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन को औपचारिक रूप से भारत द्वारा मान्यता प्राप्त है।
3. ब्रिटिश शासन के दौरान 1893 में डूरंड रेखा का सीमांकन किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 2
(D) 1, 2 और 3

उत्तर : a)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: टीटीपी और आईएस-केपी जैसे गैर-राज्य अभिनेता दक्षिण एशिया में राज्य प्राधिकरण को चुनौती देना जारी रखते हैं। विश्लेषण करें कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय समूह भारत सहित पड़ोसी देशों के लिए सुरक्षा वातावरण को कैसे जटिल बनाते हैं। **(250 शब्द)**

Page 01 : GS 1 : History / Prelims

तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग (टीएनएसडीए) ने पश्चिमी घाट के पास स्थित तेनकासी जिले के तिरुमलापुरम में लौह युग संस्कृति के पुख्ता प्रमाण खोजे हैं। खुदाई के पहले सीज़न के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि यह स्थल तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत से मध्य तक की हो सकती है, जो इसे आदिचनल्लूर और शिवगालाई जैसे प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के साथ कालानुक्रमिक रूप से संरेखित करती है।

दैनिक समाचार विश्लेषण

Initial findings point to Iron Age origins at new excavation site in T.N.

N. Sai Charan
CHENNAI

The first season of excavations carried out by the Tamil Nadu State Department of Archaeology (TNSDA) at Thirumalapuram in Tenkasi district has brought to light the presence of Iron Age culture close to the Western Ghats in Tamil Nadu.

According to tentative estimates, the site could date back to the early to mid-third millennium BCE, similar to Adichanallur and Sivagalai. Official sources said the exact period would be confirmed through scientific analyses.

Rich yield: An urn burial site at Thirumalapuram in Tamil Nadu's Tenkasi district. SPECIAL ARRANGEMENT

Burial site

According to the recently released report, *Archaeological Excavations in Tamil Nadu: A Preliminary Report*, the burial site at Thirumalapuram covers nearly 35 acres and lies about 10 km northwest of the present-day village, between two seasonal streams that rise from the Western Ghats near the Kulasegarapereri tank. During the first season of excavations started last year, TNSDA archaeologists dug 37 trenches and unearthed several artefacts, including a rectangular stone slab chamber with urn burials and urns, a first-of-its-kind discovery in Tamil Nadu.

The chamber, made of 35 stone slabs, was filled with cobblestones up to a depth of 1.5 metres.

The excavations also yielded a rich collection of ceramics found in graves and among grave goods. These included white-painted black-and-red ware, red ware, red-slipped ware, black-polished ware, and coarse red ware.

Unique feature

The black-and-red ware, black ware, and black-slipped ware types had white-painted designs, a unique feature first reported from T. Kallupatti and later from Adichanallur, Sivagalai, Thulukkarpatti, and Korkai, the report said.

According to the report, symbols on the urns were among the most striking discoveries at Thirumalapuram. One red-slipped pot featured dotted designs showing a human figure, a mountain, a deer, and a tortoise.

A total of 78 antiquities made of bone, gold, bronze, and iron were also found. They include a tweezer, sword, spearhead, gold ring, axe, dagger, chisel, bonehead, and arrowhead. Three tiny gold rings were found in an urn at a depth of 0.49 metres. Each ring measures 4.8 mm in diameter and weighs less than one milligram.

Based on the unearthed materials, archaeologists believe this site dates to Iron Age. Official sources said the dating remains tentative as studies are still under way. Comparisons with sites such as Sivagalai and Adichanallur, dated between 3,345 BCE and 2,513 BCE respectively, suggest that Thirumalapuram could be placed in the early to mid-third millennium BCE.

उत्खनन की मुख्य विशेषताएं

1. साइट विवरण

- स्थान: तिरुमलापुरम, तेनकासी जिले के वर्तमान गांव से लगभग 10 किमी उत्तर-पश्चिम में।
- क्षेत्र: दफन स्थल लगभग 35 एकड़ में फैला हुआ है, जो पश्चिमी घाट से निकलने वाली दो मौसमी धाराओं के बीच स्थित है।
- परियोजना: पहले उत्खनन मौसम (2024-25) के दौरान टीएनएसडीए द्वारा संचालित।

2. प्रमुख खोजें

- कलशों को दफनाने के साथ आयताकार पत्थर का स्लैब कक्ष - तमिलनाडु में अपनी तरह का पहला।

- चैंबर का निर्माण 35 पत्थर के स्लैब का उपयोग करके किया गया है और 1.5 मीटर की गहराई तक कोबलस्टोन से भरा हुआ है।
- 37 खाइयों का पता चला, जो कलाकृतियों और चीनी मिट्टी की चीज़ें का एक समृद्ध संग्रह प्रदान करती हैं।

3. सिरेमिक ढूँढता है

- **किस्मों में शामिल हैं:**
  - सफेद रंग के काले और लाल बर्तन
  - लाल बर्तन, लाल-फिसलने वाले बर्तन, काले पॉलिश किए गए बर्तन, और मोटे लाल बर्तन
- काले और लाल बर्तनों पर सफेद रंग के डिज़ाइन टी. कल्लुपट्टी, आदिचनल्लूर और कोरकाई के पहले के निष्कर्षों से मिलते-जुलते हैं, जो सांस्कृतिक निरंतरता को दर्शाते हैं।

4. प्रतीकात्मक कलाकृतियाँ

- एक लाल-फिसलने वाले बर्तन में एक मानव आकृति, पहाड़, हिरण और कछुए के चित्रित प्रतीक हैं - संभवतः अनुष्ठान या पौराणिक रूपांकनों का संकेत देते हैं।
- इस तरह की आइकनोग्राफी लौह युग समुदायों की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति और विश्वास प्रणालियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

5. धातु और हड्डी की कलाकृतियाँ

- 78 पुरावशेष बरामद किए गए, जिनमें शामिल हैं:
  - उपकरण और हथियार: तलवार, भाला, खंजर, कुल्हाड़ी, छेनी, तीर का सिरा
  - आभूषण: सोने के छल्ले (4.8 मिमी व्यास, <1 मिलीग्राम वजन)
  - उपकरण: चिमटी, बोनहेड, आदि।
- उन्नत धातुकर्म कौशल और अंत्येष्टि प्रसाद संस्कृति का सुझाव देता है।

स्थैतिक और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
दक्षिण भारत में लौह युग (1500-500 ईसा पूर्व)	तिरुमलपुरम प्रारंभिक लौह युग की बस्तियों और दफन प्रथाओं की समझ को बढ़ाता है।
आदिचनल्लूर और शिवगलई खुदाई	तुलनात्मक डेटिंग प्रारंभिक द्रविड़ सांस्कृतिक विकास के भीतर तिरुमलापुरम को स्थापित करने में मदद करती है।
भौतिक संस्कृति	मिट्टी के बर्तन, प्रतीक और धातु की कलाकृतियाँ तकनीकी और कलात्मक प्रगति को दर्शाती हैं।
पुरातात्विक पद्धति	कालानुक्रमिक ढांचे की पुष्टि करने के लिए वैज्ञानिक डेटिंग (सी -14, थर्मोल्यूमिनेसेंस)।
तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत	प्रारंभिक शहरी और धातुकर्म विकास के एक प्रमुख केंद्र के रूप में तमिलनाडु की स्थिति को मजबूत करता है।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

1. सांस्कृतिक क्षितिज का विस्तार

- यह खोज पश्चिमी घाट की ओर लौह युग सभ्यता के भौगोलिक प्रसार का विस्तार करती है।
- दक्षिण भारत में लौह युग के समुदायों के बीच व्यापक क्षेत्रीय संपर्क को इंगित करता है।

2. दफन प्रथाओं का विकास

- कब्र के सामान के साथ कलश दफन अनुष्ठानिक जटिलता और मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास को दर्शाता है।
- तमिलनाडु और कर्नाटक में महापाषाण स्थलों के साथ पाई जाने वाली समानताएं साझा सांस्कृतिक लक्षणों का सुझाव देती हैं।

3. तकनीकी और धातुकर्म उन्नति

- लोहे के औजारों और सोने के आभूषणों की उपस्थिति प्रारंभिक धातु दक्षता को उजागर करती है।
- कांस्य युग से लौह युग की अर्थव्यवस्थाओं में संक्रमण को प्रदर्शित करता है।

4. संगम आयु संस्कृति के साथ निरंतरता

- प्रतीकात्मक रूपांकनों और कलाकृतियों को बाद के संगम साहित्य के साथ प्रतिध्वनित होता है, जो दफन अनुष्ठानों और नायक पत्थरों (नाडुकल) के संदर्भ में है।
- दक्षिणी प्रायद्वीपीय परंपराओं में सांस्कृतिक निरंतरता का सुझाव देता है।

रणनीतिक और शैक्षणिक निहितार्थ

- पुरातत्व के लिए: दक्षिण भारत में लौह युग के कालक्रम और सांस्कृतिक पैटर्न का पता लगाने के लिए नए रास्ते प्रदान करता है।
- तमिलनाडु के लिए: समृद्ध स्वदेशी विरासत के साथ प्रारंभिक सभ्यता के उद्गम स्थल के रूप में राज्य के दावे को मजबूत करता है।
- शिक्षा और पर्यटन के लिए: तेनकासी के आसपास पुरातात्विक पर्यटन और विरासत अध्ययन को बढ़ावा दे सकते हैं।
- अनुसंधान संस्थानों के लिए: पुरातत्व, धातु विज्ञान और सांस्कृतिक नृविज्ञान में अंतःविषय सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

आगे की चुनौतियाँ

- नाजुक कलाकृतियों की वैज्ञानिक डेटिंग और संरक्षण की आवश्यकता।
- स्थानीय निर्माण और जलवायु जोखिम के कारण साइट के क्षरण को रोकना।
- स्थानीय समुदायों को विरासत संरक्षण प्रयासों में एकीकृत करना।
- शैक्षणिक उपयोग के लिए उत्खनन डेटा का पारदर्शी प्रकाशन सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष:

तिरुमलापुरम उत्खनन तमिलनाडु के लौह युगीन सांस्कृतिक परिदृश्य के मानचित्रण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। कलशों से लेकर चित्रित मिट्टी के बर्तनों और स्वर्ण कलाकृतियों तक, ये खोजें न केवल तकनीकी परिष्कार को दर्शाती हैं, बल्कि प्रारंभिक द्रविड़ समाज की अनुष्ठानिक और प्रतीकात्मक गहराई को भी दर्शाती हैं।

आदिचनल्लूर और शिवगलाई के साथ, तिरुमलापुरम एक समृद्ध आद्य-ऐतिहासिक सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्यों को पुष्ट करता है जिसने तमिलकम के शास्त्रीय युग की सांस्कृतिक नींव रखी।

दैनिक समाचार विश्लेषण

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: तमिलनाडु के तिरुमलापुरम में हाल ही में हुई खुदाई के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह स्थल तमिलनाडु में पूर्वी घाट के करीब स्थित है।
2. इसमें कलशों के साथ एक आयताकार पत्थर के स्लैब कक्ष का निर्माण हुआ है – तमिलनाडु में इस तरह की पहली खोज।
3. माना जाता है कि यह स्थल तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत से मध्य-तृतीय सहस्राब्दी की है।
4. खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा की गई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?

(A) केवल 1 और 4
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 2, 3 और 4
(D) केवल 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: लौह युग की संस्कृति और दक्षिण भारत में संगम युग सभ्यता के साथ इसकी निरंतरता को समझने में हाल ही में तिरुमलापुरम की खुदाई के महत्व पर चर्चा करें।

दैनिक समाचार विश्लेषण

Page 04 : GS 2 : I.R. / Prelims

मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा सह-मेजबानी में गाजा पर शर्म अल-शेख शांति शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह करेंगे। गाजा के लिए संघर्ष विराम और पुनर्निर्माण योजना को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से शिखर सम्मेलन इजरायल और हमास के बीच लंबे समय तक संघर्ष के बाद पश्चिम एशियाई क्षेत्र को स्थिर करने के लिए नए सिरे से राजनयिक प्रयासों के बीच हो रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्प सूचना के कारण निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, लेकिन भारत ने गाजा में शांति और मानवीय सहायता के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की।

दैनिक समाचार विश्लेषण

India sends Minister to Egypt for Gaza summit

New Delhi will be represented by Minister of State for External Affairs Kirtivardhan Singh in place of Prime Minister Narendra Modi, who declined the invitation from Egypt due to the short notice

Suhasini Haidar
NEW DELHI

India will send Minister of State for External Affairs Kirtivardhan Singh to represent the country at the Peace Summit on Gaza in Sharm el-Sheikh to be co-hosted by Egypt and the United States on Monday, officials confirmed to *The Hindu*.

Prime Minister Narendra Modi was among more than 20 world leaders invited over the weekend to attend the summit, which will be co-hosted by Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi and U.S. President Donald Trump, to discuss the ceasefire deal between Israel and Hamas, brokered mainly by negotiators from the U.S., Egypt, and Qatar.

However, given the short notice, Mr. Modi, whose invitation was delivered by Egyptian Ambassador Kamel Galal, declined the invitation. Mr. Modi had also met U.S. special envoy and Ambassador-designate Sergio Gor in Delhi on Saturday.

Egypt's FM to visit Delhi

Mr. Singh left for Cairo on Sunday and will travel to Sharm el-Sheikh on Monday, the officials said. Mr. Modi is, however, expected to meet Egyptian Foreign Minister Badr Abdelatty later this week, who is travelling to Delhi to hold the India-Egypt Strategic Dialogue.

Key gathering: More than 20 world leaders are expected at the Sharm el-Sheikh Summit for Peace on Monday. REUTERS

According to sources, Mr. Abdelatty's visit is part of the Sisi-Modi Strategic Partnership Agreement signed in January 2023, and this is his first visit to India since taking over in 2024. Mr. Abdelatty has been in frequent contact with External Affairs Minister S. Jaishankar, including during Operation Sindoor in May, and Egypt had strongly condemned the Pahalgam terror attacks.

Mr. Abdelatty is also expected to brief the government on the plans for the reconstruction of Gaza.

Although Egypt is not a member of the India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC), it has been keen to discuss alternative route alignments through Sharm el-Sheikh with India, given the security issues with Israel's Haifa port, where the current alignment lies.

Among those who have confirmed their participation at Monday's event in Sharm el-Sheikh are UN Secretary-General Antonio Guterres and the leaders of France, Italy, Spain, and the U.K. A number of leaders from Europe, the Gulf region, and other parts of Asia are expected to be there as well.

Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif will attend. Iran's leadership, which received a surprise invitation, has declined it, as has Hamas.

It is still unclear whether Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu or the Palestinian Authority President, Mahmoud Abbas, would attend.

On Monday morning, Mr. Trump will be in Jerusalem to address the Israeli parliament as he and Mr. Netanyahu await the release of 20 Israeli hostages still alive and the return of remaining bodies of those who have died since they were abducted by Hamas during the 2023 terror attacks. Israel will release about 2,000 Palestinian prisoners.

Finalise truce deal

Mr. Abdelatty spoke by telephone to his counterparts in a number of countries, said the Egyptian Foreign Ministry on Sunday, and conveyed the invitation from President Sisi and President Trump to witness the signing of a peace agreement.

"During the calls, Minister Abdelatty discussed the substantive arrangements of the summit, which is a historic summit aimed at ending the war on the Gaza Strip," said the statement.

"The summit seeks to help restore regional stability and alleviate the suffering of the Palestinian people in Gaza, in line with U.S. President Donald Trump's vision for peace in the region," it added.

Mr. Modi had welcomed the Gaza ceasefire agreement last week and spoke to Mr. Trump over the telephone to congratulate him.

मुख्य बिंदु

1. भारत की भागीदारी

- मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह मिस्र के शर्म अल-शेख में शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- शिखर सम्मेलन का उद्देश्य इजरायल और हमास के बीच अमेरिका-मिस्र-कतर की मध्यस्थता वाले संघर्ष विराम समझौते को मजबूत करना है।
- पीएम मोदी का व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं होने का निर्णय लॉजिस्टिक बाधाओं को दर्शाता है, न कि राजनयिक दूरी को।

2. उच्च स्तरीय वैश्विक सभा

- 20 से अधिक विश्व नेता और प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस
  - फ्रांस, इटली, स्पेन और यूके के नेता
  - पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ

- ईरान और हमास ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया।
- इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और फिलिस्तीन प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की भागीदारी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

3. समानांतर राजनयिक जुड़ाव

- मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलत्ती भारत-मिस्र रणनीतिक वार्ता के लिए इस सप्ताह के अंत में नई दिल्ली का दौरा करेंगे।
- यह यात्रा सिसी-मोदी रणनीतिक साझेदारी समझौते (2023) पर आधारित है।
- अब्देलटी द्वारा गाजा पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय स्थिरता योजनाओं के बारे में भारत को जानकारी दिए जाने की उम्मीद है।
- मिस्र भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) के हिस्से इजरायल के हाइफा बंदरगाह के आसपास अस्थिरता के कारण भारत के साथ वैकल्पिक व्यापार संरेखण की भी तलाश कर रहा है।

4. शांति प्रक्रिया विकास

- शिखर सम्मेलन में युद्धविराम और कैदियों के आदान-प्रदान पर हस्ताक्षर होंगे:
  - इज़राइल ~ 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा।
  - हमास 20 इस्राइली बंधकों को रिहा करेगा।
- लक्ष्य गाजा पर युद्ध को समाप्त करना और अमेरिकी शांति ढांचे के अनुरूप क्षेत्रीय स्थिरता बहाल करना है।

स्थैतिक और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
भारत-मिस्र रणनीतिक साझेदारी (2023)	रक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय शांति पहलों में संस्थागत सहयोग।
भारत की पश्चिम एशिया नीति	इज़राइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ शांति, स्थिरता और संतुलित जुड़ाव पर जोर देता है।
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी)	वैकल्पिक मार्गों में मिस्र की रुचि उभरती क्षेत्रीय कनेक्टिविटी गतिशीलता पर प्रकाश डालती है।
गुटनिरपेक्षता और रणनीतिक स्वायत्तता	भारत की नपी भागीदारी प्रतिस्पर्धी शक्तियों के बीच संतुलित कूटनीति को दर्शाती है।
संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षवाद	भारत बातचीत और बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

1. संतुलित कूटनीति

- प्रधानमंत्री के बजाय मंत्री स्तर के प्रतिनिधि को भेजने का भारत का निर्णय रणनीतिक तटस्थता को दर्शाता है - क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता में शामिल हुए बिना जुड़ाव बनाए रखना।
- शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और दो-राष्ट्र समाधान पर भारत की निरंतर स्थिति को मजबूत करता है।

2. मिस्र के साथ संबंध मजबूत करना

- मिस्र भारत के लिए एक प्रमुख पश्चिम एशियाई वार्ताकार के रूप में उभरा है।
- आईएमईसी विकल्पों में रणनीतिक संवाद और सहयोग बढ़ते भू-आर्थिक अभिसरण को रेखांकित करता है।

3. भारत की पश्चिम एशिया आउटरीच के लिए निहितार्थ

- भारत की भागीदारी क्षेत्रीय शांति निर्माण प्रयासों में निरंतर प्रासंगिकता का संकेत देती है।
- क्षेत्र में भारत की ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी भारतीयों के हितों का समर्थन करता है ।
- अमेरिका और अरब के नेतृत्व वाली वार्ताओं के बीच भारत की राजनयिक दृश्यता को बढ़ाया।

4. वैश्विक मध्यस्थता ढांचे में बदलाव

- मिस्र और अमेरिका सह-मेजबान की भूमिका निभाते हुए पारंपरिक पश्चिमी प्रभुत्व पर क्षेत्रीय बहुपक्षीय कूटनीति का संकेत देते हैं।
- भारत की भागीदारी बहु-ध्रुवीय संघर्ष समाधान पहल का हिस्सा बनने की उसकी तत्परता को दर्शाती है।

रणनीतिक निहितार्थ

- भारत के लिए: वैश्विक शांति प्रक्रियाओं में सक्रिय लेकिन संतुलित भूमिका प्रदर्शित करता है।
- मिस्र के लिए: एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के बीच एक राजनयिक केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है।
- क्षेत्र के लिए: युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण और मानवीय सहयोग के लिए सतर्क आशावाद का संकेत देता है।
- IMEC और कनेक्टिविटी के लिए: हाइलाइट्स को विकसित भू-राजनीतिक जोखिमों के कारण मार्गों में विविधता लाने की आवश्यकता है।

आगे की चुनौतियाँ

- यह सुनिश्चित करना कि इजरायल और हमास के बीच नाजुक विश्वास के बीच युद्धविराम कायम रहे।
- इज़राइल, अरब राज्यों और ईरान के साथ संबंधों को एक साथ संतुलित करना ।
- संघर्ष प्रभावित गाजा में मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण वित्तपोषण का प्रबंधन।
- फिलिस्तीनी राज्य के दर्जे पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ध्रुवीकरण से बचना।

निष्कर्ष:

शर्म अल-शेख गाजा शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी संवाद और शांति पर निहित इसकी सैद्धांतिक कूटनीति को रेखांकित करती है। जहां लॉजिस्टिक बाधाओं ने प्रधानमंत्री को दूर रखा, वहीं राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के माध्यम से नई दिल्ली का जुड़ाव शांति प्रयासों और मिस्र जैसे क्षेत्रीय भागीदारों के साथ भारत की एकजुटता को दर्शाता है। पश्चिम एशिया में जटिल शक्ति गतिशीलता के बीच, भारत वैश्विक शांति, स्थिरता और समावेशी विकास के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप रणनीतिक स्वायत्तता की नीति का अनुसरण करना जारी रखता है।

दैनिक समाचार विश्लेषण

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: शर्म अल-शेख में आयोजित गाजा पर शांति शिखर सम्मेलन की सह-मेजबानी किन दो देशों द्वारा की गई थी?

(A) मिस्र और इज़राइल
(B) मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका
(C) मिस्र और कतर
(D) इज़राइल और यूनाइटेड किंगडम

उत्तर : b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: इज़राइल और अरब दुनिया दोनों के साथ अपने रणनीतिक संबंधों के आलोक में गाजा संघर्ष के प्रति भारत के दृष्टिकोण की आलोचनात्मक जांच करें। **(250 शब्द)**

Page : 09 : GS 2 : Indian Polity / Prelims

भारत धीरे-धीरे खुद को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद समाधान के केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है – एक ऐसी भूमिका जिसे कभी अकल्पनीय माना जाता था। मुंबई सेंटर फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (एमसीआईए) द्वारा हाल ही में आयोजित भारत वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) सप्ताह ने एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिसमें शीर्ष वैश्विक मध्यस्थता विशेषज्ञ भारतीय समकक्षों के साथ जुड़ रहे हैं – जो वैश्विक कानूनी सेवाओं में भारत की बढ़ती विश्वसनीयता का संकेत है।

समानांतर रूप से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के विदेशी वकीलों और कानून फर्मों के पंजीकरण और विनियमन के लिए 2025 नियम भारत के कानूनी बाजार को उदार बनाने की दिशा में एक कैलिब्रेटेड कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो विदेशी वकीलों को भारत में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कानून का अभ्यास करने के सीमित अधिकारों की अनुमति देता है।

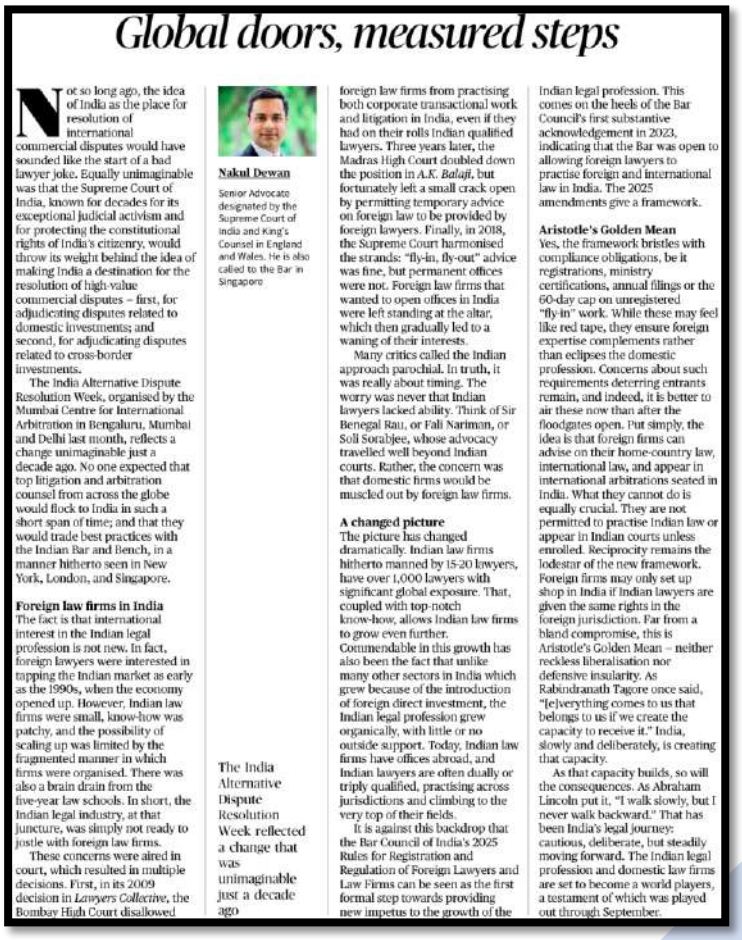

Global doors, measured steps

Not so long ago, the idea of India as the place for resolution of international commercial disputes would have sounded like the start of a bad lawyer joke. Equally unimaginable was that the Supreme Court of India, known for decades for its exceptional judicial activism and for protecting the constitutional rights of India's citizenry, would throw its weight behind the idea of making India a destination for the resolution of high-value commercial disputes – first, for adjudicating disputes related to domestic investments; and second, for adjudicating disputes related to cross-border investments.

The India Alternative Dispute Resolution Week, organised by the Mumbai Centre for International Arbitration in Bengaluru, Mumbai and Delhi last month, reflects a change unimaginable just a decade ago. No one expected that top litigation and arbitration counsel from across the globe would flock to India in such a short span of time; and that they would trade best practices with the Indian Bar and Bench, in a manner hitherto seen in New York, London, and Singapore.

Foreign law firms in India

The fact is that international interest in the Indian legal profession is not new. In fact, foreign lawyers were interested in tapping the Indian market as early as the 1990s, when the economy opened up. However, Indian law firms were small, know-how was patchy, and the possibility of scaling up was limited by the fragmented manner in which firms were organised. There was also a brain drain from the five-year law schools. In short, the Indian legal industry, at that juncture, was simply not ready to jostle with foreign law firms.

These concerns were aired in court, which resulted in multiple decisions. First, in its 2009 decision in *Lawyers Collective*, the Bombay High Court disallowed foreign law firms from practising both corporate transactional work and litigation in India, even if they had on their rolls Indian qualified lawyers. Three years later, the Madras High Court doubled down the position in *A.K. Balaji*, but fortunately left a small crack open by permitting temporary advice on foreign law to be provided by foreign lawyers. Finally, in 2018, the Supreme Court harmonised the strands: "fly-in, fly-out" advice was fine, but permanent offices were not. Foreign law firms that wanted to open offices in India were left standing at the altar, which then gradually led to a waning of their interests.

Many critics called the Indian approach parochial. In truth, it was really about timing. The worry was never that Indian lawyers lacked ability. Think of Sir Benegal Rau, or Fali Nariman, or Soli Sorabjee, whose advocacy travelled well beyond Indian courts. Rather, the concern was that domestic firms would be muscled out by foreign law firms.

A changed picture

The picture has changed dramatically. Indian law firms hitherto manned by 15-20 lawyers, have over 1,000 lawyers with significant global exposure. That, coupled with top-notch know-how, allows Indian law firms to grow even further.

Commendable in this growth has also been the fact that unlike many other sectors in India which grew because of the introduction of foreign direct investment, the Indian legal profession grew organically, with little or no outside support. Today, Indian law firms have offices abroad, and Indian lawyers are often dually or triply qualified, practising across jurisdictions and climbing to the very top of their fields.

It is against this backdrop that the Bar Council of India's 2025 Rules for Registration and Regulation of Foreign Lawyers and Law Firms can be seen as the first formal step towards providing new impetus to the growth of the Indian legal profession. This comes on the heels of the Bar Council's first substantive acknowledgement in 2023, indicating that the Bar was open to allowing foreign lawyers to practise foreign and international law in India. The 2025 amendments give a framework.

Aristotle's Golden Mean

Yes, the framework bristles with compliance obligations, be it registrations, ministry certifications, annual filings or the 60-day cap on unregistered "fly-in" work. While these may feel like red tape, they ensure foreign expertise complements rather than eclipses the domestic profession. Concerns about such requirements deterring entrants remain, and indeed, it is better to air these now than after the floodgates open. Put simply, the idea is that foreign firms can advise on their home-country law, international law, and appear in international arbitrations seated in India. What they cannot do is equally crucial. They are not permitted to practise Indian law or appear in Indian courts unless enrolled. Reciprocity remains the lodestar of the new framework. Foreign firms may only set up shop in India if Indian lawyers are given the same rights in the foreign jurisdiction. Far from a bland compromise, this is Aristotle's Golden Mean – neither reckless liberalisation nor defensive insularity. As Rabindranath Tagore once said, "[e]verything comes to us that belongs to us if we create the capacity to receive it." India, slowly and deliberately, is creating that capacity.

As that capacity builds, so will the consequences. As Abraham Lincoln put it, "I walk slowly, but I never walk backward." That has been India's legal journey: cautious, deliberate, but steadily moving forward. The Indian legal profession and domestic law firms are set to become a world players, a testament of which was played out through September.

Nakul Dewan
Senior Advocate designated by the Supreme Court of India and King's Counsel in England and Wales. He is also called to the Bar in Singapore

The India Alternative Dispute Resolution Week reflected a change that was unimaginable just a decade ago

मुख्य बिंदु

1. भारत में विदेशी कानूनी अभ्यास का विकास

- **प्रारंभिक प्रतिरोध (1990-2018):**
  - लॉयर्स कलेक्टिव (2009) – बॉम्बे हाईकोर्ट ने विदेशी फर्मों को कॉर्पोरेट या मुकदमेबाजी के काम का अभ्यास करने से रोक दिया।
  - एके बालाजी (2012) - मद्रास उच्च न्यायालय ने बार की पुष्टि की, केवल अस्थायी विदेशी कानून सलाह की अनुमति दी।
  - सुप्रीम कोर्ट (2018) - "फ्लाई-इन, फ्लाई-आउट" परामर्श की अनुमति दी लेकिन स्थायी कार्यालय नहीं।
- **चिंताओं:**
  - छोटी, खंडित भारतीय फर्मों के कारण विदेशी प्रभुत्व का डर।
  - पूर्ण उदारीकरण से पहले घरेलू क्षमता निर्माण की आवश्यकता।

2. 2025 फ्रेमवर्क

- **बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के नए नियम:**
  - **विदेशी वकीलों/फर्मों को पंजीकरण करने और सलाह देने की अनुमति देता है:**
    - गृह-देश का कानून
    - अंतर्राष्ट्रीय कानून
    - भारत में बैठे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता
  - **प्रतिबंध:** भारतीय कानून का अभ्यास करना या भारतीय अदालतों में उपस्थित होना जब तक कि बार के साथ नामांकित न हो।
  - **शर्त:**
    - पंजीकरण और मंत्रालय प्रमाणन आवश्यक है
    - वार्षिक अनुपालन फाइलिंग
    - "फ्लाई-इन" कार्य प्रति वर्ष 60 दिनों तक सीमित है
    - पारस्परिकता खंड - केवल उन देशों के लोग जहां भारतीय वकील समान अधिकारों का आनंद लेते हैं, भारत में काम कर सकते हैं

3. घरेलू कानूनी परिवर्तन

- भारतीय लॉ फर्मों का तेजी से विस्तार हुआ है – 15-20 वकीलों से 1,000 से अधिक सदस्यों वाली टीमों तक।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बिना विकास काफी हद तक जैविक रहा है।
- कई भारतीय वकील अब दोहरी या तिहरी योग्यता रखते हैं, जो वैश्विक न्यायालयों में अभ्यास करते हैं।

स्थैतिक और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर)	एमसीआईए और एडीआर वीक के माध्यम से भारत को वैश्विक मध्यस्थता केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई)	नियामक पर्यवेक्षण के तहत विदेशी कानून फर्मों के प्रवेश को उदार बनाने वाले 2025 नियम।
अंतर्राष्ट्रीय कानून में पारस्परिकता सिद्धांत	भारत में विदेशी वकीलों की भागीदारी के लिए मुख्य नींव।
आत्मनिर्भर भारत और सेवा क्षेत्र में सुधार	वैश्विक विशेषज्ञता को शामिल करते हुए घरेलू कानूनी उद्योग को मजबूत करना।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आर्बिट्रेशन सुधार	एक अंतरराष्ट्रीय निवेश गंतव्य के रूप में भारत की विश्वसनीयता को बढ़ाना।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

1. रणनीतिक उदारीकरण

भारत के कानूनी क्षेत्र में सुधार अरस्तू के "गोल्डन मीन" का अनुसरण करता है - सावधानी के साथ खुलेपन को संतुलित करना। ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी विशेषज्ञता घरेलू क्षमता को पूरा करती है, न कि प्रतिस्थापित करती है।

2. भारत की वैश्विक कानूनी छवि को बढ़ावा

वैश्विक मध्यस्थता विशेषज्ञों और विदेशी कानून फर्मों को आमंत्रित करके, भारत एक विश्वसनीय विवाद समाधान स्थल के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाता है। यह निवेश के अनुकूल अर्थव्यवस्था बनने की भारत की व्यापक महत्वाकांक्षा का समर्थन करता है।

3. घरेलू कानूनी क्षमता को मजबूत करना

विदेशी कानून फर्मों के क्रमिक प्रवेश की संभावना होगी:

- ज्ञान के आदान-प्रदान और सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करना।
- भारतीय फर्मों को आगे बढ़ाने, विशेषज्ञता और वैश्वीकरण करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना ।
- बार के भीतर व्यावसायिकता और नैतिक आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना।

4. आर्थिक और नीतिगत तालमेल

कानूनी क्षेत्र का उदारीकरण व्यापार, सेवाओं और एफडीआई में चल रहे सुधारों का पूरक है, जिससे ज्ञान अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति मजबूत होती है।

रणनीतिक निहितार्थ

- वैश्विक मध्यस्थता हब: भारत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए एक पसंदीदा सीट के रूप में उभर सकता है, सिंगापुर या लंदन में बहिर्वाह को कम करना.
- व्यावसायिक गतिशीलता: पारस्परिकता खंड विदेशों में भारतीय वकीलों के लिए अवसर खोल सकते हैं।
- न्यायिक कूटनीति: कानूनी सहयोग और वैश्विक नियम-कानून नेतृत्व के माध्यम से भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाती है।
- निवेश विश्वास: पारदर्शी कानूनी प्रक्रियाएं अधिक सीमा पार निवेशकों को आकर्षित करती हैं।

आगे की चुनौतियाँ

- अनुपालन बोझ: अति-विनियमन कुछ विदेशी फर्मों को रोक सकता है।
- घरेलू हितों की सुरक्षा: विदेशी प्रवेश सुनिश्चित करना छोटी भारतीय फर्मों को कमजोर नहीं करता है।
- पारस्परिकता अंतराल: सभी देश भारतीय वकीलों को समान पहुंच प्रदान नहीं करते हैं।
- समन्वय के मुद्दे: बीसीआई, कानून मंत्रालय और मध्यस्थता संस्थानों के बीच तालमेल की आवश्यकता।

निष्कर्ष:

कानूनी क्षेत्र में सुधार के लिए भारत का दृष्टिकोण मापा वैश्विक एकीकरण का उदाहरण है - न तो संरक्षणवादी और न ही लापरवाह। नियामक विवेक के साथ खुलेपन को जोड़कर, भारत टैगोर के ज्ञान को प्रतिध्वनित करते हुए एक विश्व स्तरीय कानूनी केंद्र बनने की क्षमता का निर्माण कर रहा है:

- "वह सब कुछ हमारे पास आता है जो हमारा है यदि हम इसे प्राप्त करने की क्षमता पैदा करते हैं।

जैसे-जैसे भारत इस रास्ते पर चलता है – धीरे-धीरे, जानबूझकर और आत्मविश्वास के साथ – यह अपने कानूनी पेशे और वैश्विक व्यवस्था में अपनी स्थिति दोनों को मजबूत करता है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न : बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) 2025 के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. विदेशी कानून फर्म भारतीय कानून का अभ्यास करने के लिए भारत में स्थायी कार्यालय स्थापित कर सकते हैं।
2. विदेशी वकील भारत में अंतरराष्ट्रीय कानून और गृह-देश के कानून पर सलाह दे सकते हैं।
3. विदेशी कानून फर्मों के लिए भारत में काम करने के लिए पारस्परिकता की शर्त है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A) केवल 1
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 2
D) उपरोक्त सभी

उत्तर: b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न : विदेशी वकीलों के पंजीकरण के लिए 2025 बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम एक सतर्क लेकिन प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। गंभीर रूप से जांच करें कि ये सुधार वैश्विक एकीकरण के साथ भारत की घरेलू कानूनी क्षमता को कैसे संतुलित करते हैं। **(150 शब्द)**

Page 09 : GS 2 : Social Justice / Prelims

भारत में नकद हस्तांतरण महिला-केंद्रित सामाजिक नीति के एक प्रमुख साधन के रूप में उभरा है, जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना और स्वरोज़गार को बढ़ावा देना है। हाल ही में, बिहार ने मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना शुरू की, जिसके तहत 75 लाख महिलाओं को प्रारंभिक पूँजी के रूप में ₹10,000 हस्तांतरित किए गए, और सफल उद्यमों के लिए ₹2 लाख तक की अतिरिक्त राशि की संभावना है। अन्य उदाहरणों में कर्नाटक की गृह लक्ष्मी, पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार, मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना और तेलंगाना की महालक्ष्मी शामिल हैं, जिन्हें भारत के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) ढाँचे के माध्यम से सुगम बनाया गया है, जो JAM त्रिमूर्ति: जन धन खाते, आधार और मोबाइल फ़ोन पर आधारित है।

जबकि भारत ने औपचारिक वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय प्रगति की है – 89% महिलाओं के पास बैंक खाते हैं और महिलाओं के पास 55.7% पीएमजेडीवाई खाते हैं – सवाल यह है कि क्या नकदी तक पहुंच महिलाओं के लिए वास्तविक आर्थिक एजेंसी के बराबर है?

दैनिक समाचार विश्लेषण

Do cash transfers build women's agency?

There is a need to ensure that women do not only receive money but also control, grow, and sustain it for their own advancement

DATA POINT

Shravani Prakash
Jiya Bharti
Riya Khanna

The politics of welfare in India has become increasingly gendered, with cash transfers emerging as both a social policy instrument and an electoral strategy. Just weeks before Assembly elections, the Bihar government has rolled out the Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana – a ₹10,000 transfer to 75 lakh women as seed capital for self-employment. The goal is to help them start or expand small enterprises, with up to ₹2 lakh in additional support for successful ventures.

This joins a list of women-focused cash transfer programmes, such as Karnataka's Gruha Lakshmi, West Bengal's Lakshmir Bhandar, Madhya Pradesh's Ladli Behna Yojana, and Telangana's Mahalakshmi. These are powered by India's Direct Benefit Transfer (DBT) architecture, anchored on the 'JAM trinity' of Jan Dhan accounts, Aadhaar, and mobile phones. This infrastructure enables targeted delivery and transparency.

As of August 2025, over 56 crore Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana accounts have been opened, with women owning 55.7% of them. According to the World Bank's Global Findex Database 2025, 54% of Indian women reported opening their first bank account primarily to receive government benefits or wages. With 89% of Indian women now holding a bank account – on par with developed nations and far above the global average of 77% – India has achieved a remarkable milestone in recognising women as economic actors with a formal financial identity (**Chart 1**).

At the heart of this progress lies a critical question: can direct cash empower women as economic agents rather than just welfare recipients? DBT schemes have been shown to enhance women's visible control over resources. Research shows that income in a woman's name increases her say in household decisions and improves outcomes for children and the elderly. Therefore, schemes such as Bihar's can represent the first formal recognition of women's economic identity.

However, beneath the impressive numbers, the story is more complex. Despite the JAM push leading to near-universal account ownership by women, around 20% remain dormant due to insufficient funds, low perceived need, or discomfort in engaging with formal banking. In rural and semi-urban areas, distance from bank branches and the digital divide worsen this disengagement.

Moreover, a large number of women use their accounts primarily to withdraw the cash transfers – usage for savings, borrowing, or payments remains low (**Chart 2**). Although 38 crore RuPay cards (which come free with Jan Dhan accounts) have been issued and UPI transactions have surged from ₹2 crore in FY17 to ₹18,600 crore in FY25, women's usage of debit cards as well as digital payments continues to lag behind men's.

Apart from patriarchal norms, a low level of digital access has prevented the proliferation of bank accounts from translating into sustained savings, credit uptake, or active digital transactions for women. Women are 19% less likely to own mobile phones (as per GSMA), which are needed to access information about accounts and funds. Data from the Findex survey shows that the costs of phones and data, lack of privacy, fear of cyber fraud, and social norms prevent women's ownership of mobile phones. Shared phone access for a large number of women further limits independent digital banking. Financial and digital literacy remain significant barriers. In fact, more than two-thirds of Indian women still rely on male relatives to make financial transactions (**Chart 3**).

Therefore, India's leap from access to agency for women remains incomplete. So, for schemes such as Bihar's Rojgar Yojana to become genuine instruments of economic empowerment, they need to move beyond simply placing money in women's bank accounts. Beneficiaries require complementary long-term support.

Most importantly, building genuine financial agency will require giving women control over assets by providing them with secure property rights and joint land titles. Only when women have tangible control over land or business assets can they leverage credit, participate in markets, and engage in new forms of commerce.

Equally critical is strengthening the 'mobile' pillar of the JAM trinity. Subsidised smartphones and affordable data plans would allow women to access their accounts and digital payment tools independently, avoiding reliance on shared devices that erode privacy and autonomy. Banks, fintech, and mobile operators must co-create financial products that reflect the realities of women's informal, seasonal, or sporadic incomes; caregiving responsibilities; and limited financial and digital literacy.

Community-based confidence networks can bridge the trust gap. Initiatives such as digital banking *sakhis* and secure WhatsApp or UPI groups can offer trusted spaces for women to seek advice, share experiences, and resolve doubts collectively. Another priority should be to expand the number of female banking agents – less than 10% of India's 1.3 million business correspondents are women.

The path to real empowerment lies in coupling access with agency-building – ensuring women can not only receive money but also control, grow, and sustain it for their own advancement.

Shravani Prakash, Jiya Bharti and Riya Khanna are with ICRIER's Economic Policies for Women Led Development Program

Beyond the transfer

The data for the charts were sourced from the World Bank Findex Report (2025) and the CMS-Telecom Report 2025

Chart 1: Proportion of women who own bank accounts in India and globally

Chart 2: Women's engagement in financial activities using bank accounts (%)

Many women use their accounts primarily to withdraw the cash that was transferred – usage for savings, borrowing, or payments remains low

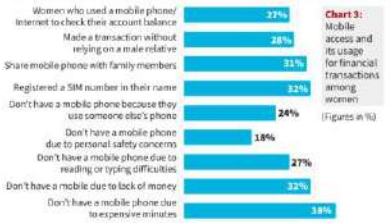

Chart 3: Mobile access and its usage for financial transactions among women

(Figures in %)

मुख्य बिंदु

1. महिला-केंद्रित नकद हस्तांतरण का विस्तार

- बीज पूंजी हस्तांतरण (जैसे, बिहार) का उद्देश्य उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।
- डीबीटी बुनियादी ढांचा लक्षित वितरण और पारदर्शिता को सक्षम बनाता है।
- पीएमजेडीवाई के 56 करोड़ से अधिक खाते खोले गए; बहुसंख्यक महिलाओं के स्वामित्व वाली।

2. वर्तमान उपयोग पैटर्न

- लगभग 20 प्रतिशत खाते निष्क्रिय हैं, खासकर ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में।
- नकद निकासी हावी है; बचत, क्रेडिट या डिजिटल भुगतान के लिए उपयोग सीमित है।
- डिजिटल डिवाइड और मोबाइल एक्सेस के मुद्दे सक्रिय वित्तीय भागीदारी में बाधा डालते हैं।

3. एजेंसी के लिए बाधाएं

- पितृसत्तात्मक मानदंड महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति को बाधित करते हैं।
- कम मोबाइल फोन स्वामित्व (पुरुषों की तुलना में 19% कम) स्वतंत्र डिजिटल बैंकिंग को प्रतिबंधित करता है।
- वित्तीय और डिजिटल साक्षरता अंतराल महिलाओं को लेनदेन के लिए पुरुष रिश्तेदारों पर भरोसा करने के लिए मजबूर करता है।

4. सशक्तिकरण के लिए पूरक उपाय

- संपत्ति नियंत्रण: ऋण पहुंच को सक्षम करने के लिए सुरक्षित संपत्ति अधिकार और संयुक्त भूमि शीर्षक।
- डिजिटल समावेशन: सब्सिडी वाले स्मार्टफोन, किफायती डेटा और महिलाओं के अनुकूल फिनटेक समाधान।
- सामुदायिक सहायता: डिजिटल बैंकिंग सखाईं, सुरक्षित व्हाट्सएप/यूपीआई समूह और महिला व्यवसाय प्रतिनिधि (वर्तमान में <10%)।

स्थैतिक और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)	लक्षित, नकदी आधारित सामाजिक कल्याण के लिए मुख्य तंत्र।
JAM ट्रिनिटी (जन धन, आधार, मोबाइल)	पारदर्शिता, वितरण और संभावित डिजिटल सशक्तिकरण को सक्षम बनाता है।
महिलाओं का वित्तीय समावेशन	89% खाता स्वामित्व; आर्थिक पहचान के लिए नींव।
लिंग और कल्याण नीति	राजनीतिक पहुंच और महिला सशक्तिकरण के लिए नकद हस्तांतरण का तेजी से उपयोग किया जा रहा है।
आत्मनिर्भर भारत/उद्यमिता	स्वरोजगार के लिए बीज पूंजी महिलाओं के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास के अनुरूप है।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

1. पहुंच बनाम एजेंसी

- नकद हस्तांतरण संसाधनों पर दृश्य नियंत्रण को बढ़ाता है, जिससे घरेलू निर्णयों में महिलाओं की राय बढ़ती है।
- हालांकि, केवल खाता स्वामित्व निरंतर सशक्तिकरण की गारंटी नहीं देता है।

2. संरचनात्मक और सामाजिक बाधाएं

- पितृसत्तात्मक मानदंड, कम डिजिटल साक्षरता, और साझा डिवाइस पहुंच वित्तीय संसाधनों के स्वतंत्र उपयोग को सीमित करती है।
- वित्तीय पहुंच को स्वायत्त निर्णय लेने में बदलने के लिए डिजिटल समावेशन महत्वपूर्ण है।

3. नीति डिजाइन संबंधी विचार

- वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम और परिसंपत्ति स्वामित्व सुधार जैसे पूरक समर्थन आवश्यक है।
- समुदाय-आधारित नेटवर्क और महिला-विशिष्ट बैंकिंग सेवाएं आत्मविश्वास और दीर्घकालिक वित्तीय एजेंसी को बढ़ावा दे सकती हैं।

4. आर्थिक निहितार्थ

- महिला-नियंत्रित वित्तीय संसाधन घरेलू कल्याण और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में योगदान करते हैं।
- सशक्त महिलाएं समावेशी विकास का समर्थन करते हुए ऋण और बाजार भागीदारी का लाभ उठा सकती हैं।

रणनीतिक निहितार्थ

- महिला आर्थिक एजेंसी: नकद हस्तांतरण आर्थिक पहचान को बढ़ा सकता है लेकिन एजेंसी सुनिश्चित करने के लिए साथ के उपायों की आवश्यकता है।
- उद्यमशीलता विकास: बीज पूंजी कार्यक्रम महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- डिजिटल सशक्तिकरण: डिजिटल वित्तीय प्रणालियों में महिलाओं का एकीकरण वित्तीय स्वतंत्रता और औपचारिक अर्थव्यवस्था भागीदारी को मजबूत करता है।
- नीतिगत तालमेल: डीबीटी, परिसंपत्ति सुधार और वित्तीय साक्षरता के संयोजन से सशक्तिकरण के लिए स्थायी मार्ग तैयार हो सकते हैं।

आगे की चुनौतियाँ

- निष्क्रिय खाते: औपचारिक बैंकिंग में गैर-उपयोग और कम जुड़ाव पर काबू पाना।
- डिजिटल डिवाइड: स्मार्टफोन, डेटा और सुरक्षित डिजिटल उपकरणों तक सीमित पहुंच।
- पितृसत्तात्मक बाधाएं: वित्त पर नियंत्रण को प्रतिबंधित करने वाले सांस्कृतिक मानदंड।
- स्थिरता: प्रारंभिक नकद हस्तांतरण से परे दीर्घकालिक स्वरोजगार सफलता सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष:

नकद हस्तांतरण वित्तीय समावेशन और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन अकेले पहुंच एजेंसी की गारंटी नहीं देती है। महिलाओं के जीवन को सही मायने में बदलने के लिए बिहार की रोजगार योजना जैसे कार्यक्रमों के लिए, वित्तीय पहुंच को संपत्ति नियंत्रण, डिजिटल सशक्तिकरण और समुदाय-आधारित समर्थन नेटवर्क के साथ पूरक किया जाना चाहिए। तभी भारत वित्तीय समावेशन से वास्तविक एजेंसी तक की खाई को पाट सकता है, जिससे महिलाओं को अपनी उन्नति के लिए संसाधनों को नियंत्रित करने, बढ़ने और बनाए रखने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: भारत में JAM ट्रिनिटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

दैनिक समाचार विश्लेषण

1. जन धन खाते बैंकिंग तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करते हैं।
2. आधार वित्तीय समावेशन के लिए पहचान सत्यापन सुनिश्चित करता है।
3. मोबाइल फोन का उपयोग खातों तक डिजिटल रूप से पहुंचने और संचालित करने के लिए किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

A) केवल 1 और 2
B) केवल 1 और 3
C) केवल 2 और 3
D) 1, 2 और 3

उत्तर : d)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत में महिलाओं के वित्तीय समावेशन पर JAM ट्रिनिटी (जन धन, आधार, मोबाइल) के प्रभाव का आकलन करें। यह किस हद तक आर्थिक एजेंसी और सशक्तिकरण में तब्दील हो गया है? परिणामों को मजबूत करने के लिए पूरक उपाय सुझाएं। **(150 शब्द)**

Great Nicobar revives the issue of nature's legal rights

Anwar Sadat

teaches international environmental law at the Indian Society of International Law, New Delhi

From an ecological point of view, the Andaman and Nicobar Islands can be easily rated as one of the world's most major biological diversity hotspots, acting as a global carbon reservoir and climate regulator. Unfortunately, the development trajectory of the Andaman and Nicobar Islands has been largely influenced by mainland India which has often been far removed from the needs of an island ecology. The issue in focus now is the Government of India's multi-crore mega-plan for the Great Nicobar Island – the construction of a power plant, township, transshipment port and airport, which will also affect 13,000 hectares of pristine forests.

Essential judicial precedent

A landmark judgment relating to the issue of diversion of forests that could come to the rescue of the Great Nicobar Island is the Niyamgiri Hills case, pursuant to the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

In its 2013 judgment, in *Orissa Mining Corporation Ltd. vs Ministry Of Environment & Forest and Ors.*, the Supreme Court of India addressed the concerns of the Dongoria Kondh tribe who resisted plans for bauxite *mining* in the sacred Niyamgiri Hills of Odisha. Following protests by the tribes in the region against mining which threatened their culture, religion and environment, the Court ordered a referendum in the affected *gram sabhas*, which unanimously voted against the project. The Court upheld the competence of the *gram sabha* to safeguard and preserve the traditions of the community, their cultural identity, community resources and community modes of dispute resolution.

In light of this judgment, the pertinent questions with respect to the proposed project on the Great Nicobar Island include whether the Tribal Council of Little and Great Nicobar has been allowed to exercise its competence in certifying the settlement of forest rights under the Forest Rights Act before the decision to divert forest land. A report in this daily, "Forest rights of tribal people were not settled for Nicobar project: council" (August 23, 2025), has highlighted how the Tribal Council had said that the Andaman and Nicobar Islands Administration had made a false representation to the Centre by claiming that rights of the tribal people under the Forest Rights Act had been identified and settled before diverting the required forest land for the project.

There are examples in the legal world that offer guidance on the protection of territories and natural resources

Granting rights to nature in India

What is being witnessed in the Great Nicobar is not new but one more example of how big multipurpose projects are on track to be planned disasters. The examples are many – from Tehri in the north to Koel Karo in the east to Sardar Sarovar in the west. To respond to a consistent failure of environmental law in protecting ecology, several countries (Bolivia, Colombia, Ecuador and New Zealand) have adopted a new legal approach called 'earth jurisprudence' or 'rights of nature' which grants rights to non-human natural entities (rivers, forests, mountains, and various ecosystems), recognising them as subjects of rights holders.

This approach drew inspiration from an influential article written by Christopher Stone in 1972 – 'Should Trees Have Standing? - Toward Legal Rights For Natural Objects'. He argued that the current approach did not consider damages to the environment, but only environment-related damages to humans in granting relief.

Second, such relief did not go to the natural entity but only to affected human beings. He said that making natural entities as right holders, by vesting them with legal standing in court and making them the direct beneficiaries of legal redress, would improve the environment. But the question arises whether natural entities, like human adults, be held legally responsible and exercise legal competences by entering into contracts or whether they can sue and be sued by an aggrieved party. Stone suggested the creation of a guardianship body which could initiate legal action and also collect funds to preserve and restore its condition.

The groundbreaking turn towards recognising the rights of natural entities happened in India in 2017 when the Uttarakhand High Court granted legal personhood to the Ganges and Yamuna rivers, as well as the Gangotri and Yamunotri glaciers. The judgment, in *Mohd. Salim vs State of Uttarakhand and Others*, conferred these entities with rights and obligations but only through a designated person. Although the Supreme Court stayed the ruling of the High Court, some of the elements in the High Court judgment, especially the idea of conferring guardianship responsibilities on behalf of those natural entities, could be a signpost for designing legal personhood.

The case in Colombia as guidance

Pushing the boundary of the Forest Rights Act further to incorporate the idea of granting legal personhood is one such option. Still, the idea of granting legal personhood to natural entities will require the building of greater clarity on the specific legal rights and the responsibility of individuals charged with upholding them. An in-depth study of important normative questions such as how to define rights bearing nature, what rights to recognise, who can speak for nature, and whether someone should be responsible for protecting nature, is required.

In finding answers to these normative questions, there is guidance from Colombia's Atrato River case (2016), which recognised bio-cultural rights – a reference to the right of ethnic communities to autonomously administer and protect their territories as well as the natural resources that constitute their habitat. The formation of a commission of guardians requires the inclusion of representatives from the indigenous people facing the destruction of their habitat.

GS. Paper 3- पर्यावरण

UPSC Mains Practice Question: प्राकृतिक संस्थाओं के लिए कानूनी व्यक्तित्व भारत में पर्यावरण शासन को मजबूत कर सकता है। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना और अट्राटो नदी मामले जैसे अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों के संदर्भ में चर्चा करें। **(150 शब्द)**

संदर्भ:

दैनिक समाचार विश्लेषण

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में ग्रेट निकोबार द्वीप दुनिया के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है, जो वैश्विक कार्बन सिंक और जलवायु नियामक के रूप में कार्य करता है। भारत सरकार की प्रस्तावित मेगा-डेवलपमेंट योजना – जिसमें एक बिजली संयंत्र, टाउनशिप, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और हवाई अड्डे शामिल हैं – 13,000 हेक्टेयर प्राचीन जंगलों को खतरे में डालती है और पर्यावरण संरक्षण, आदिवासी अधिकारों और प्रकृति की कानूनी मान्यता के बारे में तत्काल सवाल उठाती है।

मुख्य बिंदु

1. न्यायिक मिसाल: नियामगिरी हिल्स मामला (2013)

- सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा में बॉक्साइट खनन के खिलाफ डोंगरिया कोंध जनजाति के अधिकारों को बरकरार रखा।
- ग्राम सभा जनमत संग्रह कराया गया, परियोजना को सर्वसम्मति से अस्वीकार कर दिया गया।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) के तहत सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और वन अधिकारों की रक्षा में जनजातीय क्षमता पर जोर दिया।

2. ग्रेट निकोबार में वर्तमान चिंताएँ

- लिटिल एंड ग्रेट निकोबार की जनजातीय परिषद ने बताया कि वन डायवर्जन से पहले एफआरए के तहत वन अधिकारों का निपटान नहीं किया गया था।
- अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा जनजातीय अधिकारों के संबंध में केंद्र को गलत प्रतिनिधित्व करने का आरोप।

3. प्रकृति के लिए कानूनी व्यक्तित्व

- 'पृथ्वी न्यायशास्त्र' और क्रिस्टोफर स्टोन के 1972 के लेख से प्रेरित होकर, गैर-मानव प्राकृतिक संस्थाओं को अधिकार प्रदान करना।
- उत्तराखंड उच्च न्यायालय (2017) ने गंगा और यमुना नदियों और ग्लेशियरों को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया (मो. (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
- अवधारणा में प्राकृतिक संस्थाओं की रक्षा करने और कानूनी स्थिति को सक्षम करने के लिए संरक्षकता निकाय शामिल हैं।

4. वैश्विक मार्गदर्शन

- कोलंबिया - एट्राटो रिवर केस (2016): प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए जातीय समुदायों के लिए मान्यता प्राप्त जैव-सांस्कृतिक अधिकार।
- स्वदेशी प्रतिनिधियों सहित संरक्षक आयोगों के गठन पर जोर दिया गया।

स्थैतिक और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
वन अधिकार अधिनियम, 2006	वनों और प्रथागत भूमि पर जनजातीय अधिकारों को मान्यता देने के लिए रूपरेखा।
पर्यावरण कानून में न्यायिक सक्रियता	नियामगिरी मामला आदिवासी और पर्यावरण अधिकारों के न्यायिक संरक्षण को दर्शाता है।
प्रकृति का कानूनी व्यक्तित्व	उत्तराखंड हाईकोर्ट केस और वैश्विक उदाहरण प्रकृति के अधिकारों को शामिल करने के लिए एफआरए का विस्तार करने का सुझाव देते हैं।

दैनिक समाचार विश्लेषण

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
जैव-सांस्कृतिक अधिकार	पारिस्थितिक संरक्षण के साथ स्वदेशी प्रबंधन को एकीकृत करने के लिए मार्गदर्शन के रूप में अट्टाटो नदी का मामला।
संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र में मेगा-विकास परियोजनाएं	ग्रेट निकोबार परियोजना विकास और संरक्षण के बीच संघर्ष पर प्रकाश डालती है।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

1. पर्यावरण और पारिस्थितिक जोखिम

- बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे से वन पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और कार्बन सिंक को खतरा है।
- द्वीप पारिस्थितिकी में व्यवधान के क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु प्रभाव हो सकते हैं।

2. जनजातीय अधिकार और भागीदारी

- एफआरए डायवर्जन से पहले जनजातीय परिषदों द्वारा वन अधिकारों के निपटान को अधिदेशित करता है।
- स्वदेशी समुदायों से परामर्श करने में विफलता कानून और नैतिक शासन सिद्धांतों दोनों का उल्लंघन करती है।

3. कानूनी नवाचार के रूप में प्रकृति के अधिकार

- कानूनी व्यक्तित्व अभिभावकों के माध्यम से प्राकृतिक संस्थाओं को अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि पारिस्थितिक चिंताओं को सीधे संबोधित किया जाए, न कि केवल मानव प्रभाव के माध्यम से।

4. नीति और शासन के निहितार्थ

- अभिभावक निकायों और स्वदेशी प्रतिनिधित्व को एकीकृत करने से पर्यावरण शासन को मजबूत किया जा सकता है।
- संरक्षकता के लिए स्पष्ट कानूनी दायित्व स्थापित करना जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

रणनीतिक निहितार्थ

- जैव विविधता संरक्षण: ग्रेट निकोबार की रक्षा जैव विविधता और जलवायु शमन लक्ष्यों पर कन्वेंशन के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।
- स्वदेशी सशक्तिकरण: जनजातीय प्राधिकरण की मान्यता समावेशी और सहभागी शासन को बढ़ावा देती है।
- कानूनी नवाचार: प्रकृति के अधिकारों के ढांचे को अपनाना भारत में अन्य पारिस्थितिक हॉटस्पॉट के लिए मिसाल कायम कर सकता है।
- संघर्ष शमन: प्रकृति और जनजातीय अधिकारों का शीघ्र समावेश विकास परियोजनाओं में कानूनी और सामाजिक संघर्षों को कम करता है।

आगे की चुनौतियाँ

- **कानूनी स्पष्टता:** प्राकृतिक संस्थाओं के विशिष्ट अधिकारों और अभिभावकों की जिम्मेदारियों को परिभाषित करना।
- **कार्यान्वयन:** निगरानी और निर्णय लेने में स्वदेशी समुदायों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करना।

- **विकास और संरक्षण को संतुलित करना:** मेगा-परियोजनाएं अक्सर पारिस्थितिक स्थिरता पर आर्थिक लाभ को प्राथमिकता देती हैं।
- **न्यायिक और नीति संरेखण:** एफआरए, पर्यावरण कानून और उभरते प्रकृति-अधिकार न्यायशास्त्र में सामंजस्य स्थापित करना।

निष्कर्ष:

ग्रेट निकोबार परियोजना पारिस्थितिक संरक्षण और जनजातीय अधिकारों के साथ विकास को समेटने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। वैश्विक उदाहरणों और भारत की अपनी न्यायपालिका से प्रेरित प्राकृतिक संस्थाओं के लिए कानूनी व्यक्तित्व, स्वदेशी शासन का सम्मान करते हुए पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। सतत विकास सुनिश्चित करने और भारत की पारिस्थितिक विरासत की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हुए, संरक्षक निकायों, जैव-सांस्कृतिक अधिकारों और सक्रिय पर्यावरण शासन को एकीकृत करना आवश्यक है।